



# अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

प्रशासनिक कार्यालय : सी-ब्लॉक, हाउस नं० : 287, लेन नं० : 12/13,

(जैन मंदिर के निकट) भजनपुरा, दिल्ली - 110053

फोन नं० : 011-65128230, 096614-77764, ✉ : mspathak10@gmail.com

e-mail : info@antarrashtriymanavadhikarsangthan.org, Website : www.antarrashtriymanavadhikarsangthan.org

**डॉ० एम० एस० पाठक**

**राष्ट्रीय अध्यक्ष**

पत्रांक : अ.मा.ह./31/13-14 .

दिनांक : 25/07/2013

माननीय सदस्य सचिव महोदय,  
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,  
न्याय सदन, डोरंडा, राँची-834002

विषय : **केसों के निष्पादन के संबंध में।**

माननीय महोदय,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देश में एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से चलाई जा रही निःशुल्क विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न मामले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को प्राप्त हुए। जिनका निष्पादन झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से हुआ तथा काफी केस निष्पादन की ओर अग्रसर हैं, जिनमे कुछ प्रमुख केसों का विवरण निम्नवत है:-

1. **तारा कुमारी**, निवासी गुमला जिला अ.मा.स. केस संख्या 05/2011 दिल्ली ले जाकर बेची गई लड़की को झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा उनके अभिभावकों को सौपा गया।
2. **अनिता कुमारी**, निवासी गाँव शनियारों, जिला-गुमला दिनांक 17.07.2012 को झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा उनके अभिभावकों को सौपा गया।
3. **प्रतिमा कुमारी**, गाँव-टोटी, जिला-गुमला दिनांक 10.10.12 को झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा उनके अभिभावकों को सौपा गया।
4. **मुन्नी देवी**, गाँव-मड़वा, जिला-गुमला दिनांक 29.08.2012 को झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा उनके अभिभावकों को सौपा गया।
5. **रामरतन वर्मा**, निवासी - मांडर के पैर का ईलाज झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से रिम्स में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा भरती करवा कर किया गया, जिससे उसका पैर कटने से बच गया।
6. दुर्घटना में घायल **साधु** नामक व्यक्ति जिसके पैर की हड्डी टुटी हुई थी का ईलाज झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से रिम्स में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के द्वारा भरती करवा कर किया गया जो स्वस्थ होकर अपना जीवन यापन कर रहा है।

**करो स्वीकार : सभी का मानवाधिकार**





पंजीकरण सं. : 3161/09

# अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

प्रशासनिक कार्यालय : सी-ब्लॉक, हाउस नं० : 287, लेन नं० : 12/13,

(जैन मंदिर के निकट) भजनपुरा, दिल्ली - 110053

फोन नं० : 011-65128230, 096614-77764, ✉ : mspathak10@gmail.com

e-mail : info@antarrashtriymanavadhikarsangthan.org, Website : www.antarrashtriymanavadhikarsangthan.org

**डॉ० एम० एस० पाठक**

राष्ट्रीय अध्यक्ष

पत्रांक : अ.प्र.सं./31/13-14.

दिनांक : 25/07/2013


7. भरण पोषण से संबंधित मुकदमें में बापोती उराँव Ref. No. 37/11 का पति से विवाद झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से सुलझा।
8. भरण पोषण के एक और मामले में ग्रेसी पुष्पा बिलौंग पत्रांक 1107/10 दिनांक-18.12.2010 का पति से विवाद झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से सुलझा।
9. राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल निवासी कोकर का आपसी बटवारें का विवाद Ref. No. 11/19 दिनांक-22.12.2010, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा।
10. सुमन कुजूर, पिता - जखेरियस कुजूर निवासी ग्राम घंघरनिया, जिला सिमडेगा को 05.09.2011 को पुलिस द्वारा उग्रवादी कह कर जेल भेजा गया, जिसका निष्पादन झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग से हुआ।
11. मुकुंद नायक, निवासी सिमडेगा Ref. No. 464/11 दिनांक 16.09.2011 को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को दिये गये आवेदन के बाद झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से डाकघर में उसकी बहाली हुई।

इसी प्रकार के लगभग सतरह हजार भिन्न-भिन्न मामले राशन कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड, इंदिरा आवास, नलकूप, भूमि विवाद के मामले एवं आपसी पारिवारिक विवाद से संबंधित थे जिनमें लगभग चार हजार मामलों का निष्पादन झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से हो चुका है तथा बाकि मामले निष्पादन की ओर अग्रसर हैं।

इसमें झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सहयोग के साथ-साथ आपका मार्ग दर्शन काफी प्रशंसनीय रहा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता है तथा यह विश्वास दिलाता है कि आगे भी आपके मार्गदर्शन में संगठन लोगों को न्याय दिलवाने एवं उनमें विधिक जागरूकता के प्रचार-प्रसार का हर संभव प्रयास करेगा।

पुनः धन्यवाद!

आपका विश्वासी

  
(डॉ० एम० एस० पाठक)  
राष्ट्रीय अध्यक्ष

**करो स्वीकार : सभी का मानवाधिकार**